

न्यायालय नायब तहसीलदार रुपनगढ जिला-अजमेर

मुकदमा नं.

18/2022

किस्म मुकदमा अंतर्गत धारा 91

वान

राज.भू राजस्व अधि. 1956

सरकार जरिये प0ह0 करकेडी

बनाम

श्री लालूराम पुत्र सूजा जाति जाट सा. करकेडी
श्री गिरधारी पुत्र जीवण जाति जाट सा. करकेडी

निर्णय


दिनांक:- 21.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि ग्राम करकेडी के आराजी खसरा नंबर 661 किस्म गै.मु.रास्ता रकबा 0.1096 है। भूमि पर पड़त कब्जाकर गैर सायल ने कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला अंतर्गत धारा 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया। गैर सायल नोटिस तामिल होने के बावजूद व पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी अनुपस्थित रहा है अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर गैर सायल को अतिकमी घोषित कर प्रकरण निर्णीत किया जाता है।

अतः आदेश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी को ग्राम करकेडी के आराजी खसरा नंबर नंबर 661 किस्म गै.मु. रास्ता रकबा 0.1096 है। से बेदखल किया जाता है तथा लगान 0.72 का 50 गुणा 36/- रुपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं।

पटवारी/टी.आ.स.पुणं कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को भौतिक रूप से बेदखल कर लेना लेकर नोटिस पेश कर।

अतः आदेश नोटिस कम्प्यूटर में टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा बाद नम्बर से कम होना सुनिश्चित कर लेना भण्डार हो।


नायब तहसीलदार
रुपनगढ(अजमेर)

वर्ष 2022-23 रा.ले.सं. 4 के पृष्ठ संख्या
26 पर स. 36 की मांग
कायमी की गई।
तहसील राजस्व लेखाकार
27/06/22